न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—235/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88 आरटीए

1. भरत कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. दीपिका शर्मा पत्नी श्री भरत कुमार जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री अर्जनराम जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राजबाला पुत्री श्री रामस्वरूप पत्नी श्री सन्दीप कुमार जाति ब्राह्मण निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. इन्दुबाला पुत्री श्री रामस्वरूप पत्नी श्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी नन्दी चौंक के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनमानगढ़ (राज.)
4. मन्जूबाला पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. भारतीय स्टेट बैक शाखा कोर्ट रोड़ संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोर्ट रोड़ संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री प्रेमचन्द भारद्वाज अधिवक्ता वादी
2. श्री विनोद कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
3. भारतीय स्टेट बैक संगरिया— प्रतिवादी संख्या 5
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया—प्रतिवादी संख्या 6

निर्णय दिनांकः—

वादीगण ने यह वादपत्र बाबत घोषणा के तहत इस आशय को पेश किया है कि वादीगण एवं प्रति संख्या 1 ता 4 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण तथा प्रति संख्या 1 ता 4 के संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 99/82 जमबान्दी सम्वत 2070—73 में 5.187 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई। उक्त खाता की प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है। उक्त चक के खाता की समस्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है चक 7 आईडीजी खाता संख्या 99/82 जमबान्दी सम्वत 2070—73 पं.नं. 123/121 मु.नं. 25 किला नं. 21/0.253, पं.नं. 122/121 मु.नं. 26 किला नं. 16 ता 18, 23 ता 25/0.253 है.प्रे. पं.नं. 122/122 मु.नं. 29 किला नं. 4 ता 7, 14/0.253 है.प्रे. 15/2/0.227 है. 16/2/0.013 है. 25/2/0.013 है. प.नं. 123/122 मु. नं. 30 किला नं. 1,10/0.253 है.प्रे. पं.नं. 121/124 मु.नं. 48 किला नं. 16,25/0.253 है.प्र. पं.नं. 122/124 मु. नं. 49 किला नं. 20,21/0.253 है.प्र. पं.नं. 122/125 मु.नं. 63 किला नं. 1/1/0.127 है. 2/1/0.214 है. 3/1/0.013 है. 4/1/0.013 है. 5/1/0.013 है. कुल 5.187 है. कृषि भूमि।

वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि मे जो कि विरासतन है तथा वादी संख्या 1 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सं विरासतन तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है मे वादी संख्या का जन्म से हित एवं स्वत्व (BY birth Right) निहित है तथा वादीया संख्या 2 के वादी संख्या 1 की पत्नी होने के कारण एवं पैतृक कृषि भूमि में विधिक अधिकार निहित रखती है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य लोगो के प्रभाव मे होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनो पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारो आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादीया संख्या 2 ता 4 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया। जिनका अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादीण्गा व प्रतिवादी संख्या 1 को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है। वादी संख्या 1 भरतकुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 आईडीजी खाता संख्या 99/82 जमबन्दी सम्वत 2070–73 पं.नं. 122/121 मु.नं. 26 किला नं. 16 ता 18, 23 ता 25/0.253 है.प्रे. कुल 1.518 है. कृषि भूमि व वादीया संख्या 2 दीपिका शर्मा पत्नी श्री भरत कुमार जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 आईडीजी खाता संख्या 99/82 जमबन्दी सम्वत 2070–73 पं.नं. 121/124 मु.नं. 48 किला नं. 16,25/0.253 है.प्र. पं.नं. 122/124 मु. नं. 49 किला नं. 20,21/0.253 है.प्रे. कुल 1.012 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 रामस्व रूप पुत्र श्री अर्जनराम जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की कृषि भूमि चक 7 आईडीजी खाता संख्या 99/82 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में पं.नं. 123/121 मु.नं. 25 किला नं. 21/0.253 है. पं.नं. 122/122 मु.नं. 29 किला नं. 4 ता 7, 14/0.253 है.प्रे. 15/2/0.227 है. 16/2/0.013 है. 25/2/0.013 है. प.नं. 123/122 मु.नं. 30 किला नं. 1, 10/0.253 है.प्रे. पं.नं. 122/125 मु.नं. 63 किला नं. 1/1/0.127 है. 2/1/0.214 है. 3/1/0.013 है. 4/1/0.013 है. 5/1/0.013 है. कुल 2.657 है. कृषि भूमि वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 को विरासतन तौर पर तथा वादीया संख्या 2 के उक्त कृषि भूमि में विधिक अधिकार होने के कारण प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 वा 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब/इकबाल दावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की और से जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया। वादीगण द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत रासूवाला से जारी वारिस प्रमाण–पत्र रामस्वरूप पुत्र श्री अर्जुनराम का मूल ही पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी भरत कुमार का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में प्रकरण संख्या

20/2002 सोमप्रकाश बनाम बलजीत सिह निर्णय दिनांक 06.09.2002 की फोटो प्रति पेश की है। जिन्हे शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर वाद पत्र में अंकित चरण संख्या 4 की उपधारा (ख) में वर्णित वादीया संख्या 2 दिपिका शर्मा की कृषि भूमि को वादी संख्या 1 के साथ जोड़ कर खाता अलग से कायम कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जाने का निवेदन किया व वकील प्रतिवादी ने अपनी सहमति प्रदान किये जाने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश स्वीकार किया गया।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चक की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी के वाद का कोई विरोध नहीं किया जाकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए जवाबदावा/इकबाल दावा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी एवं पैतृक सम्पति के दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने का कथन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 99/82 जमबान्दी सम्वत 2070–73 में 5.187 है. कृषि भूमि प्राप्त हुई है जो पैतृक सम्पति है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। उभयपक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाब दावा/इकबालदावा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण के सहमति के जवाब दाव/इकबालदावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 7 आईडीजी खाता संख्या 99/82 जमबन्दी सम्वत 2070–73 में पं.नं. 122/121 मु.नं. 26 किला नं. 16 ता 18, 23 ता 25/0.253 है.प्रे. एवं पं.नं. 121/124 मु.नं. 48 किला नं. 16,25/0.253 है.प्र. पं.नं. 122/124 मु. नं. 49 किला नं. 20,21/0.253 है.प्रे. कृषि भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उम्मेद सिंह रतनू )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–235/2018

1. भरत कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. दीपिका शर्मा पत्नी श्री भरत कुमार जाति ब्राह्मण नि. रासूवाला तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

–वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री अर्जनराम जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. राजबाला पुत्री श्री रामस्वरूप पत्नी श्री सन्दीप कुमार जाति ब्राह्मण निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. इन्दुबाला पुत्री श्री रामस्वरूप पत्नी श्री राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी नन्दी चौंक के पास भादरा तहसील भादरा जिला हनमानगढ़ (राज.)
4. मन्जूबाला पुत्री श्री रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. भारतीय स्टेट बैक शाखा कोर्ट रोड़ संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोर्ट रोड़ संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री प्रेमचन्द भारद्वाज वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री विनोद कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वाद वादी के सहमति के जवाब दावा/इकबाल के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज चक 7 आईडीजी खाता संख्या 99/82 जमबन्दी सम्वत 2070–73 में पं.नं. 122/121 मु.नं. 26 किला नं. 16 ता 18, 23 ता 25/0.253 है.प्रे. एवं पं.नं. 121/124 मु.नं. 48 किला नं. 16,25/0.253 है.प्र. पं.नं. 122/124 मु. नं. 49 किला नं. 20,21/0.253 है.प्रे. कृषि भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता व प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किया जाकर उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.07.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया